न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारीः– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सख्या 2013/00159 (24/2013) 223 आरटीएक्ट

1. ईशरराम पुत्र मेघाराम जाति छिम्पा निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

2/1 नानू देवी पत्नी स्व0 दानाराम जाति छिम्पा निवासी 8 एसटीबी तहसील पीलीबंगा

2/2 राजोदेवी पत्नी बलराम पुत्री दानाराम जाति छिम्पा निवासी मण्डी पीलीबंगा

2/3 ख्यालीराम पुत्र दानाराम जाति छिम्पा निवासी 8 एसटीबी तहसील पीलीबंगा

2/4 चन्द्रकला पत्नी कालूराम पुत्री दानाराम जाति छिम्पा निवासी रामसरा जाखडान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

2/5 लिछमा पत्नी सुभाष पुत्री दानाराम जाति छिम्पा निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। –अपीलांट

बनाम

1. भूपराम पुत्र रामचन्द माता सुखी जाति छिम्पा साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र माता सुखी जाति छिम्पा साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र माता सुखी जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 17 चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
4. रतिराम पुत्र रामचन्द्र माता सुखी जाति छिम्पा साकिन काकडिया बाज चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

5/1 मंजू पत्नी जयनारायण पुत्र रामचन्द्र माता सुखी वार्ड नं. 17 चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

5/2 संदीप पुत्र जयनारायण उम्र 12 वर्ष नाबालिगान जरिये कुदरतीवली माता मंजू पत्नी जयनारायण निवासी वार्ड नं. 17 चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

6. सौमा देवी पत्नी श्योचन्द पुत्री सुखी निवासी कालूवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. लीला देवी पत्नी मदनलाल पुत्री रामचन्द्र माता सुखी देवी निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
8. चौका देवी पत्नी औमप्रकाश पुत्री रामचन्द्र माता सुखी देवी निवासी वार्ड नं. 18 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसील पीलीबंगा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय 22.09.1999 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा प्रकरण संख्या 160/1999

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—

श्री रामस्वरूप तावणिया अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री देवतदत्त भिड़ासरा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3

श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 9

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक :— 18.10.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्टान की माता/दादी सुखी ने सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष धारा 53 आरटीएक्ट के तहत वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि वाद में अंकित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है। उभयपक्ष के मध्य रकम राज व काश्त को लेकर विवाद रहता है इसलिए प्रश्नगत भूमि का दावा में वर्णितानुसार खाता विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने पर वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ता 8 के सम्मन अखबार में साया करवाये गये इनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि सुखीदेवी ने बतौर वादीया अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 ता 4 के पिता को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित करते हुए खाता विभाजन हेतु वाद पेश किया था, जिसमें अपीलाण्ट् एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय दावा डिक्री किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गया है। अपीलाण्ट को उबड़ खाबड़ भूमि दे दी गई एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 ता 1/8 को अच्छी अच्छी भूमि दे दी गई है। दिनांक 24.02.1999 की आदेशिका में सम्मन बाद तामील प्राप्त नहीं हुए बाद इन्तजार दिनांक 31.03.1999 को पेश होने के आदेश हुए। विभिन्न तारीखों के बाद दिनांक 03.06.1999 की आगामी पेशी मुकर्रर की गई। दिनांक 03.06.1999 की आदेशिका में यह आदेश हुआ कि प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त नहीं हुए पुनः वकील वादी से तलवाना सम्मन लिए जाकर तलबी की जावे। दिनांक 03.7.1999 को आदेशिका में यह आदेश किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सम्मन तामील हो चुके हैं मगर हाजिर नहीं आवाज लगवाई गई मगर स्वयं हाजिर नहीं आये व न ही उनकी और से उनको कोई प्रतिनिधि उपस्थित आया। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश जारी किये गये। सुखी देवी की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान का नाम रिकार्ड पर आया और रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 8 का नाम रिकार्ड पर आया ओर इनका अच्छी अच्छी भूमि दे दी गई। सम्मन तामील होकर प्राप्त नहीं हुए थे पर्याप्त तामील नहीं होने के कारण विधि की पूरी पालना न कर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति है इस अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः डिले कन्डोन की जावे और अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2002 (2) पेज 1310, आरआरटी 2005 (1) पेज 588, आरआरटील 2004 (1) पेज 375 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश हुए थे। विभाजन प्रस्ताव आने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया था। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट ने यह अपील 14 वर्षों बाद पेश की है जो मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय ने विधिवत तामील करवाई गई है। प्राथमिक डिक्री जारी होने के बाद मौका पर जाकर विधिवत रूप से प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। अपीलाण्ट ने यह तथ्य गलत रूप से अंकित किये हैं कि उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का से हुई है। निर्णय की जानकारी कब हुई इस संबंध में स्पष्ट रूप से कथन नहीं किया है न ही कोई दस्तावेज पेश किया। अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट ने 3885 दिन बाद प्रस्तुत की है जबकि अपील प्रस्तुत करने की मियाद केवल 60 दिन है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद में 22.09.1999 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी व विभाजन प्रस्ताव आने पर दिनांक 22.10.1999 को अन्तिम डिक्री पारित की गई थी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

जिसका इन्तकाल दिनांक 02.03.2000 को रेस्पोडेण्ट के हक में हो चुका है। दिनांक 18.12.1999 को पटवारी हल्का बड़ोपल व नायब तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा मौका पर जाकर कब्जा भी रेस्पोडेण्ट/वादीगण को दे दिया था। इन सब तथ्यों का अपीलाण्ट को पूर्व से ही ज्ञान था। अपीलाण्ट ने प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री की एक ही अपील प्रस्तुत की है जबकि अलग अलग अपील करनी चाहिए थी जो नहीं की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें । विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1990 पेज 545, आरआरडी 1992 पेज 364, आरआरडी 1991 पेज 180, आरआरटी 2011 (1) पेज 614, एआईआर 1998 एससी पेज 2276, आरएलडब्ल्यू 2013 एससी (2) पेज 1096, आरआरटी 2014 (1) पेज 154 एससी, आरआरडी 1992 पेज 20, आरआरसी 1992 पेज 94, आरआरटी 2014-15 सुप पेज 142 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में वादीया सुखी देवी द्वारा प्रतिवादी दाना एवं ईश्वर के विरूद्ध वाद खाता विभाजन का प्रस्तुत हुआ था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.1999 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर दिनांक 29.09.1999 को अन्तिम डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 03.07.1999 में यह अंकित है कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 के सम्मन तामील हो चुके हैं। आवाज लगवाई गई मगर न स्वयं हाजिर आये न ही इनके और से कोई प्रतिनिधि उपस्थित आये। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायलाय में प्रतिवादी ईश्वर सिंह का सम्मन स्वयं पर तामीलशुदा शामिल है एवं प्रतिवादी दाना का सम्मन उसकी पत्नी पर तामीलशुदा शामिल है। इनसे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को सम्मन भिजवाये जाकर तामील करवाई गई है। अपीलाण्ट ने यह अपील लगभग 14 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट का कथन है कि उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान पटवारी हल्का से हुआ है। पटवारी हल्का का कोई शपथ-पत्र अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरआरटी 2011 (1) पेज 614 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपील पेश करने में विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण नहीं हो अपील काल बाधित है तथा विधि का सारभूत प्रश्न भी अन्तर्निहित नहीं है। आरएलडब्ल्यू 2013(3) पेज 1096 में यह अभिनिर्धारत है कि धारा-5 मियाद अधिनियम में ''पर्याप्त हेतु'' अभिव्यक्ति का उदार अर्थ में प्रयोग करना चाहिए ताकि सारभूत न्याय किया जा सके लेकिन ये सिद्धान्त केवल तभी लागू होता है जब सम्बन्धित पक्षकार पर उपेक्षा या अकर्मण्यता या सद्भावना की कमी का

Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आरोप नहीं हों। यदि पक्षकार उपेक्षा, अकर्मण्यता तथा गफलत का दौषी हो तो ऐसे पक्षकार के पक्ष में न्यायालय में निहित विवेकाधिकार प्रयोग विलम्ब माफी देने हेतु नहीं किया जा सकता है।'' अपीलाण्ट इतनी लम्बी अवधि के उपरान्त भी अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं रहा हो ये संभव नहीं है। अपीलाण्ट ने लगभग 14 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है। विलम्ब का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अपील में अपीलाण्ट स्वच्छ हाथों से नहीं आया हैं। विलम्ब के समुचित कारणों के बिना डिले कन्डोन किया जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है जो नियमानुकूल नहीं है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलौक में प्रकरण में पर गुणागुवण पर विचार किये बिना ही अपील मियाद बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाधित होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.1999 वे 29.09.1999 यथावत् रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम आर०ए०एस०

अपील सख्या 2013/00159 (24/2013) 223 आरटीएक्ट

1. ईशरराम पुत्र मेघाराम जाति छिम्पा निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

2/1 नानू देवी पत्नी स्व० दानाराम जाति छिम्पा निवासी 8 एसटीबी तहसील पीलीबंगा

2/2 राजोदेवी पत्नी बलराम पुत्री दानाराम जाति छिम्पा निवासी मण्डी पीलीबंगा

2/3 ख्यालीराम पुत्र दानाराम जाति छिम्पा निवासी 8 एसटीबी तहसील पीलीबंगा

2/4 चन्द्रकला पत्नी कालूराम पुत्री दानाराम जाति छिम्पा निवासी रामसरा जाखडान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

2/5 लिछमा पत्नी सुभाष पुत्री दानाराम जाति छिम्पा निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। –अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम

1. भूपराम पुत्र रामचन्द माता सुखी जाति छिम्पा साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र माता सुखी जाति छिम्पा साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र माता सुखी जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 17 चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
4. रतिराम पुत्र रामचन्द्र माता सुखी जाति छिम्पा साकिन काकडिया बाज चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

5/1 मंजू पत्नी जयनारायण पुत्र रामचन्द्र माता सुखी वार्ड नं. 17 चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

5/2 संदीप पुत्र जयनारायण उम्र 12 वर्ष नाबालिगान जरिये कुदरतीवली माता मंजू पत्नी जयनारायण निवासी वार्ड नं. 17 चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

6. सौमा देवी पत्नी श्योचन्द पुत्री सुखी निवासी कालूवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
7. लीला देवी पत्नी मदनलाल पुत्री रामचन्द्र माता सुखी देवी निवासी वार्ड नं. 17 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
8. चौका देवी पत्नी औमप्रकाश पुत्री रामचन्द्र माता सुखी देवी निवासी वार्ड नं. 18 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसील पीलीबंगा। —रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय 22.09.1999 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा प्रकरण संख्या 160/1999

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री रामस्वरूप तावणिया अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री देवतदत्त भिड़ासरा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3, श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 9, की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट मियाद बाधित होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.1999 वे 29.09.1999 यथावत् रखे जाते हैं।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 18.10.2019 को जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी) आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 12:46:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: